

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से सौंपा जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सर्वाधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रांतक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविष्ठा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2009/ 4182

दिनांक: ०७/१२/११

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सी.पी.एस. महाविद्यालय ग्राम बड़ागांव, जिला-मुरैना (9926393679) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.कॉम. (सभी अधिकारी विषय) बी.एस-सी. (आ.पा. रसायन शास्त्र, औतिकी, गणित, वनस्पतिशास्त्र, जन्मविज्ञान), बी.ए. (आ.पा. हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल गृहविज्ञान), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारें प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।  
(0751-2442828)

(संयोजक)

(2) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. के.एस. घाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईजेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारें अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से बिवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जाएगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बहाँ कराता है तो समिति स्वतः बिस्तर हो जावेगी और पुक़ बिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करवे होंगे। तत्पश्चात् ही बिरीक्षण समिति का पुर्वगञ्ज किया जायेगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से बिरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय को निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्पुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

नमस्त यश व्यवसार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बज से ही खेता जावे ज  
कि किसी अल्प घटाहिकाही के बज से।  
तम्भकित विचरण पर यहि धूर्व में प्र  
व्यवसार हुआ हो तो एवं क्रमांक एवं दिनांक  
अस्थाई लिखा जावे लिखासे उपरि हो।



ग्राम : इनीशियरिंग  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
2442462 (बिलास)  
फैक्टर : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 4846

दिनांक : ०५/०५/१२

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्वर्गत कार्यपालिका की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार सी.पी.एस. महाविद्यालय ग्राम बड़ागांव, जिला-मुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.कॉर्न. (सभी अधिवार्य विषय) बी.एस-सी. (आ.पा. रसायन शास्त्र, और्गेनिकी, गणित, वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान), बी.ए. (आ.पा. हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल गृहविज्ञान), पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- परिनियम 28(17) के अनुसार स्थानी प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शिक्षकों की नियुक्तियाँ 31 मार्च 2012 तक की जावे।
- पुस्तकालय में विषयानुसार पुस्तकें पर्याप्त नहीं हैं, अतः कम से कम 50,000/- की पुस्तकों क्रय की जावे।
- विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिये लगभग 1,00,000/- के उपकरण क्रय किये जावे।
- छेल परिसर विकसित किया जावे तथा क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति परिनियम के अनुसार की जावे। साथ ही छेल की सामग्री भी क्रय की जावे।
- महाविद्यालय भवन को शीघ्र ही जून 2012 तक नवीन भवन में स्थानान्तरित किया जावे। अन्यथा आगामी शैक्षिक सत्र में अस्थाई सम्बद्धता देना संभव नहीं होगा।
- परिनियम 27 एवं 28 का पूर्णतः पालन किया जावे।

आदेशानुसार  
3  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, सी.पी.एस. महाविद्यालय ग्राम बड़ागांव, जिला-मुरैना
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा अवल, ओफिस;
- दोत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)